

एन.टी.पी.सी. लिमिटेड

संविदा एवं सामग्री विभाग

अन्ता गैस पॉवर प्रोजेक्ट, अन्ता

सन्दर्भ संख्या: ए.जी.सी.एस. एवं संविदा एवं सामग्री

दिनांक:.....

में.....

विषय: एन.टी.पी.सी अन्ता में विभागीय वाहन लगाने हेतु लैटर ऑफ इंटेंट |

महोदय,

आपको एन.टी.पी.सी अन्ता में विभागीय वाहन लगाने हेतु लैटर ऑफ इंटेंट दो प्रतियों में जारी किया जा रहा है।

कृपया लैटर ऑफ इंटेंट की दृवितीय प्रति हस्ताक्षर कर; मोहर सहित अपनी सहमति के रूप में एन.टी.पी.सी. लिमिटेड अन्ता के संविदा एवं सामग्री विभाग के कार्यालय को दिनांक: 04/12/2021 तक वापस करें।

आपके द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

समय ॥ छोड़ सुलादू तक

टैक्स औपचिंग समय

दिनांक ५/१२/२१

साथ ३ छोड़ तक

धन्यवाद सहित।

भवदीय।

अनुल कुमार गुप्ता

अपरमहाप्रबंधक (संविदा एवं सामग्री)

सलग्न : उपरोक्तानुसार

मेरा

नगर महाप्रबंधक (संविदा एवं सामग्री)  
विदा एवं सामग्री विभाग  
एनटीपीसी अंता, बारां 325209

वेष्य - एनटीपीसी अंता में एनटीपीसी की नियम एवं शर्तों के अनुसार वाहन की तैनाती की सहमती के संदर्भ में।

श्रीमान,

मैं/हम एनटीपीसी अंता में विभागीय वाहन की तैनाती के लिए प्रस्तावित मूल्य, नियम एवं शर्तों को स्वीकार करता/करते हैं, और एनटीपीसी अंता से अनुरोध करते हैं कि मुझे/हमें एनटीपीसी अंता में सेवा करने का मौका दिया जाए। मैं/हम यह शर्त स्वीकार करते हैं कि एनटीपीसी वाहन की तैनाती में सारणी-1 की वरीयता अनुसार वाहन तैनाती का आदेश देगी।

मैं/हम निम्नलिखित वर्ग में आते हैं -

सारणी - 1

वरीयता कम	वर्ग	उचित स्थान पर का प्रिशान लगाए
01 *	भूविस्थापित/परियोजना प्रभावित व्यक्ति जो कि स्वयं डाइविंग करने के लिए तैयार है तथा जिन्हें पहले इसका मौका नहीं मिला है।	
02 *	भूविस्थापित/परियोजना प्रभावित व्यक्ति जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है या जो कि वाहन चलाने के योग्य नहीं है, और जिन्हें पूर्व में इसका मौका नहीं मिला है।	
03	अन्य	

\* क.सं. 01 तथा 02 के अन्तर्गत दावेदार मानव संसाधन विभाग एनटीपीसी अंता के हारा सत्यापित करवाकर उचित दस्तावेज जमा कराएं।

तदोपरान्त मैं/हम वाहन की तैनाती से संबंधित वरीयता कम देते हैं और वरीयता कम उन्हीं वर्गों के लिए लागू होगा जिनके लिए कराएं।

सारणी - 2

क.सं.	वाहन का वर्ग	क्या पर्संद की अभिव्यक्ति में उल्लेखीय है	वरीयता कम 1,2,3..
01	नोन ए.सी. बोलेगा (12 घंटे)	हां / नहीं	
02	नोन ए.सी. बोलेगा (24 घंटे)	हां / नहीं	
03	टाटा 407 पीक अप (12 घंटे)	हां / नहीं	
04	टाटा 407 पीक अप (24 घंटे)	हां / नहीं	
05	एम्बूलेंस ए.सी. (24 घंटे)	हां / नहीं	
06	टाटा मैंजिक (24 घंटे)	हां / नहीं	

धन्यवाद सहित,

संलग्न - एनटीपीसी अंता के हारा निर्धारित मूल्य, नियम तथा शर्तों पर सहमती

लाभ -

पर्संद -

सम्मिलित रो.

क्रमी - 1 गृहिणीयापित पर्संद जीवा नहीं भिला।

2 गृहानिय लेवोज जास

3 झूला


एनटीपीसी लिमिटेड  
(मारत सरकार का उपकरण)

विषय : "एनटीपीसी अंता में विमानीय वाहनों को लगाना"।

उद्देश्य प्रकार : उचित भूल्या

क्र. सं.	वाहन की किस्म	मासिक प्रभार (झाइवर, रोड टैक्स, बीमा, अनुरक्षण सहित)	इधन खपत (किमी/लीटर)	मोबाइल खपत (किमी/लीटर)
क	नॉन एसी बोलेरो बंद जीप (12 घंटे)		12	

क्र. सं.	वाहन की किस्म	मासिक प्रभार (झाइवर, रोड टैक्स, बीमा, अनुरक्षण सहित)	इधन खपत (किमी/लीटर)	मोबाइल खपत (किमी/लीटर)
ख	नॉन एसी बोलेरो बंद जीप (24 घंटे)		12	

क्र. सं.	वाहन की किस्म	मासिक प्रभार (झाइवर, रोड टैक्स, बीमा, अनुरक्षण सहित)	इधन खपत (किमी/लीटर)	मोबाइल खपत (किमी/लीटर)
ग	टाटा 407 पिक अप (12 घंटे)		09	

क्र. सं.	वाहन की किस्म	मासिक प्रभार (झाइवर, रोड टैक्स, बीमा, अनुरक्षण सहित)	इधन खपत (किमी/लीटर)	मोबाइल खपत (किमी/लीटर)
घ	टाटा 407 पिक अप (24 घंटे)		09	

क्र. सं.	वाहन की किस्म	मासिक प्रभार (झाइवर, रोड टैक्स, बीमा, अनुरक्षण सहित)	इधन खपत (किमी/लीटर)	मोबाइल खपत (किमी/लीटर)
च	एंबुलेंस (एसी मार्क्सि-ईंटीसीओ) (24 घंटे)		12	

क्र. सं.	वाहन की किस्म	मासिक प्रभार (झाइवर, रोड टैक्स, बीमा, अनुरक्षण सहित)	इधन खपत (किमी/लीटर)	मोबाइल खपत (किमी/लीटर)
छ	टाटा मैंजिक (7+1 सीटर) (24 घंटे)		13	

सहमती (हाँ/नाही)

हस्ताक्षर

## कार्य का स्कोर और विशेष नियम एवं शर्तें

### ठेकेदारों के लिए अन्य प्रतिपूर्ति:

1. एक दिन में अधिकतम 200 रुपए के अधीन 50 रुपए प्रति घंटे का ओवरटाइम ।
2. 200 रुपए प्रति रात्रि नाइट चार्ज (रात 12:00 के बाद लागू) ।
3. ठेकेदार को वाहनों को चलाने के लिए डीजल/पेट्रोल की व्यवस्था अपने खर्च पर करनी होगी। एनटीपीसी द्वारा अंता क्रय विक्रय राहकारी समिति, अंता पर निकटनतम एचपीसीएल आउटलेट की प्रचलित दर पर डीजल/पेट्रोल की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

एनटीपीसी डीजल/पेट्रोल की लागत की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार करेगा :-

माह के दौरान, चलाए गए कुल किलोग्राम \* खंड-3 के अनुसार ईधन की प्रचलित दर ईधन की खपत ( किसी प्रति लीटर ) ।

टीएसडी अंता क्रय विक्रय राहकारी समिति, अंता में ईधन की प्रचलित दर के बारे में बताएगा। ईआईसी मार्शिक विलों को अंतिम रूप देने के लिए इन्हीं दरों का इस्तेमाल करेगा।

4. मार्शिक विल के साथ दस्तावेज प्रत्युत करने पर एटीपीसी द्वारा टॉल टैक्स, पार्किंग प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

एनटीपीसी लिमिटेड  
(मार्त्र सरकार का उपकरण)

5. सेवा कर, यदि कोई हों, की प्रतिपूर्ति एनटीपीसी द्वारा की जाएगी।
6. रविवार को वाहन लगाने के लिए एनटीपीसी द्वारा अतिरिक्त दिन के लिए मासिक प्रभार को 26 दिनों से भाग देकर आने वाली राशि का भुगतान किया जाएगा।
7. 24 घंटे की डयूटी के लिए लगाए गए वाहनों के लिए ठेकेदार द्वारा ड्राइवरों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करना होगा और कार्यमुक्त (रिलिविंग) प्रभार फिक्स्ड मासिक प्रभारों में शामिल किए जाएंगे।
8. पूरी संविदा अवधि के दौरान, संविदा को "सुनिश्चित मूल्य आधार" पर निष्पादित करना होगा। बहरहाल, संविदा के विस्तार के लिए मासिक फिक्स्ड प्रभारों में दूसरे वर्ष 2 प्रतिशत, तीसरे वर्ष 3 प्रतिशत, चौथे वर्ष 4 प्रतिशत और पांचवे वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
9. इस संविदा के अंतर्गत कार्य के दायरे में चालू वर्ष के नए वाहन या चालू वर्ष से एक वर्ष पुराना वाहन (एक्स शौ रूम) चालक सहित (इसमें आगे जिसे "वाहन" कहा गया है) और इसमें अनुरक्षण लागत समिलित रहेंगी।
10. इस संविदा के तहत कार्य का स्कोप इस लैटर ऑफ अवार्ड में उल्लिखित मर्दों तक सीमित नहीं होगा बल्कि इसमें वे सभी मर्द शामिल होंगी जो इस संविदा के सफल निष्पादन के लिए अनिवार्य हैं।

नियम एवं शर्तें:

- 1.1 'वाहन' को सीट कवर, टायरों, शॉकर्स, बॉडी और चेसिस सहित चालू और सही हालत में रखना जरूरी होगा। वाहन खराबी मुक्त और अच्छी हालत में होना चाहिए।
- 1.2 'वाहन' टैक्सी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और उसका परमिट संविदा अवधि के दौरान, सदैव राजस्थान के लिए वैध होना चाहिए।
- 1.3 'वाहन' इसका ड्राइवर और रिलीवर को माह के सभी दिनों के दौरान प्रतिदिन 12/24 घंटे की डयूटी पूरी करनी होगी। अनुरक्षण के लिए एक दिन की छुट्टी प्रदान की जाएगी।
- 1.4 'वाहन' की सभी प्रकार की मरम्मत, अनुरक्षण, सर्विस आदि कराना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी और इस संबंध में एनटीपीसी की कोई जिम्मेदारी, चाहे जो भी हो, नहीं होगी।

8/2021

एनटीपीसी लिमिटेड  
(मारत सरकार का संप्रकल्प)

- 1.5 ड्राइवर एनटीपीसी द्वारा जारी लॉग बुक को गैंटेन करेगा, जो प्रत्येक यात्रा पूरी करने के बाद एनटीपीसी के पदाधिकारी द्वारा पृष्ठांकित की जाएगी।
- 1.6 यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी टेकेदार की होगी कि रोड टैक्स, पंजीकरण, बीमा, ड्राइवर लाइसेंस आदि के संबंध में टेकेदार ने विधिवत रूप से गुणतान कर दिया है और कानून द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे अन्य दस्तावेज हर दृष्टि से पूर्ण हैं और 'वाहन' के ड्राइवर के पास हर समय उपलब्ध हैं।
- 1.7 एनटीपीसी यात्रा के निष्पादन के दौरान 'वाहन' को या 'वाहन' द्वारा किसी दुर्घटना, या क्षति या इनसे उत्पन्न किसी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। टेकेदार को बीमा पॉलिसी द्वारा जोखिम को पर्याप्त रूप से कवर करना होगा, जिसके लिए एनटीपीसी कोई देयता स्वीकार नहीं करेगी।
- 1.8 टेकेदार को 'वाहन' को लगाते समय 'वाहन' के दस्तावेज, जैसे पंजीकरण, लाइसेंस, टैक्स टोकन, परमिट और बीमा आदि प्रस्तुत करना होगा।
- 1.9 टेकेदार को टेका प्रदान करने के बाद, टेकेदार एनटीपीसी/ओआईसी की स्वीकृति के लिए 'वाहन' प्रस्तुत करेगा। ओआईसी की स्वीकृति के बाद ही 'वाहन' को इस संविदा के तहत चलाने की अनुमति दी जाएगी।
- 1.10 वाहन का इस्तेमाल एनटीपीसी के कार्गचारियों और/या ओआईसी के आदेशानुसार दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाएगा और और सामान्यतः इसका इस्तेमाल राजस्थान के अंदर यात्राओं के लिए किया जाएगा।
- 1.11 टेकेदार द्वारा सभी सांविधिक अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा और एनटीपीसी इस संबंध में किसी भी दावे, चाहे जो भी हो, पर विचार नहीं करेगा। टेकेदार यथा लागू सभी कानूनों का पालन करेगा। टेकेदार किसी भी तरह की देयता के लिए एनटीपीसी के अन्य स्टेशनों पर प्रचलित पद्धतियों के अनुसार 100 रुपए के रुटांप पेर पर एनटीपीसी को एक क्षतिपूर्ति वांड प्रस्तुत करेगा। टेकेदार द्वारा वाहनों और ड्राइवरों से संबंधित सभी सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित किए जाएंगे।
- 1.12 ड्राइवर और 'वाहन' के लिए एनटीपीसी-जंता के परिसरों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक गेट पास जरूरी होंगे। गेट पास प्राप्त करने के लिए जरूरी औपचारिकताएं टेकेदार द्वारा पूरी जी जाएंगी।
- 1.13 इस संविदा के तहत किया जाने वाला कार्य/सेवा इंजीनियर इन्चार्ज के निर्देशों के अनुसार, यथा वर्णित कार्य के विस्तृत स्कोप के अनुरूप होगी। कार्य के रक्तोप के संबंध में कोई विवाद होने की रियति में इंजीनियर इन्चार्ज का निर्णय अंतिम होगा और यह टेकेदार के लिए वाध्यकारी होगा।

५८

एनटीपीसी लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपकरण)

- 1.14 ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि 'वाहन' का ड्राइवर शिष्टतापूर्वक व्यवहार करेगा। ठेकेदार को ओआईसी के निर्देश पर अशिष्ट व्यावहार करने वाले ड्राइवर (ड्राइवरों) को तीन दिन के अंदर बदलना होगा।
- 1.15 अगर ठेकेदार ड्राइवर को बदलना चाहता है तो यह जरूरी है कि ओआईसी की लिखित सहमति जरूर ली जाए।
- 1.16 'वाहन' के अनुरक्षण के लिए हर महीने एक दिन दिया जाएगा, ठेकेदार ओआईसी से स्वीकृति लेने के बाद ही इसका लाभ उठा सकता है। अगर वाहन 24 घंटे की ड्यूटी वाला है तो अनुरक्षण के एक दिन को एक माह के लिए आगे ले जाया जा सकता है, जिसमें विफल रहने पर यह समाप्त हो जाएगा और आगे ले जाई गई छुट्टी को बाद के माह के अनुरक्षण अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकता।

12 घंटे की ड्यूटी वाले वाहन के मामले में एक दिन के अनुरक्षण अवकाश को अगले माह में नहीं ले जाया सकता।

**टिप्पणी :** टाटा मेजिक (7+1 सीटर; 24 घंटे) के मामले में मासिक अवकाश वाले दिन के लिए ठेकेदार द्वारा दूसरा वाहन मुहैया कराया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर, उक्त माह विशेष में दिनों पर ध्यान दिए बगैर मासिक प्रभार (फिकर्ड) को 30 दिनों से भाग देकर निकाली गई दैनिक दर के अनुसार मासिक भुगतान से कटौती की जाएगी।

- 1.17 किसी दिन वाहन मुहैया कराने में विफल रहने के मामले में, उक्त गाह विशेष में दिनों पर ध्यान दिए बगैर, दी गई दर को 26 दिनों से भाग देकर निकाली गई दैनिक दर से दोगुनी राशि मासिक भुगतान से कटाई जाएगी।
- 1.18 ब्रेक डाउन, अगर कोई हो, की सूचना ठेकेदार/ड्राइवर द्वारा ओआईसी को तुरंत दी जाएगी। 'वाहन' के ब्रेक डाउन की स्थिति में उसी दिन दूसरा वाहन मुहैया कराना होगा, जिसमें विफल रहने पर, एक दिन के किराये की दोगुनी दर से घस्ती की जाएगी।
- 1.19 ठेकेदार/ड्राइवर द्वारा लॉग बुक की सुरक्षित करटडी सुनिश्चित की जाएगी। लॉग बुक गुम हो जाने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा जरूरी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- 1.20 उपरोक्त अपेक्षानुसार, सभी प्रकार की क्षतियों को कवर करने के लिए संविदा अधिक के दौरान हर समय ठेकेदार के खर्च पर 'वाहन' का व्यापक बीमा कराना जरूरी होगा।
- 1.21 ठेकेदार को सभी संगत दस्तावेजों के साथ मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा।

*S. M.*

एनटीपीसी लिमिटेड  
(भारत सरकार का संप्रकाश)

- 1.22 प्रत्येक चालू विल से छु प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि बसूली जाएगी, जो संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अनुसार जारी राशि की जाएगी। बहरहाल, बसूली जाने वाली अधिकतम प्रतिभूति राशि 15,000 रुपए होगी। नियम एवं शर्तों के अनुसार, संविदा को निष्पापूर्वक पूरा करने में विफल रहने पर प्रतिभूति राशि जब कर ली जाएगी।
- 1.23 24 घंटे बाले वाहन के साथ प्रतिदिन दो ड्राइवर लगाए जाएंगे और 12 घंटे बाले वाहन के लिए रिलीवर के साथ एक ड्राइवर लगाया जाएगा।
- 1.24 ड्राइवरों के लिए सुरक्षा बेल्ट लगाना अनिवार्य है और ड्राइवर 80 किमी/घंटे की गति सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा, बार-बार उल्लंघन करने, जिसे ईआईसी द्वारा प्रमाणित किया गया है, पर 300 रुपए की कटौती की जाएगी।
- 1.25 इलेक्ट्रॉनिक फंड अंतरण द्वारा रासी भुगतान किए जाएंगे। टेकेदार को अपना खाता संख्या बताना होगा और सभी विवरण के साथ एक रद्द चेक संलग्न करना होगा।
- 1.26 टेकेदार को सभी सांविधिक अधिनियमों, मोटर वाहन के सभी नियमों और विनियमों तथा अन्य लागू अधिनियमों का पालन करना होगा।
- 1.27 एनटीपीसी ड्राइवरों/एजेंसियों को आवास मुहैया नहीं कराएगा। बहरहाल, एनटीपीसी द्वारा वाहनों को खड़ा करने के लिए परियोजना रूपरूप के अंदर पार्किंग रैम्प मुहैया कराया जा सकता है।
- 1.28 टेकेदार को उसके द्वारा नियुक्त ड्राइवरों के लिए कामगार क्षतिपूर्ति बीमा लेना होगा, संविदा अवधि के दौरान चालू और वैध रहेगा।
- 1.29 एनटीपीसी को लिखित में 07 दिन का नोटिस, जैसा जरूरी समझा जाए, देने के बाद कभी भी संविदा को समाप्त करने का अधिकार है और टेकेदार को इस संबंध में कोई दावा, चाहे जो भी हो, करने का अधिकार नहीं होगा।
- 1.30.1 संविदा का विस्तार : ओआईसी द्वारा पहले वर्ष के दौरान, संविदा के तहत निष्पादन का निर्णय/मूल्यांकन किया जाएगा। ओआईसी की संतुष्टि के आधार पर संविदा को वही नियम एवं शर्तों के साथ दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष के लिए स्वीकृत दरों पर प्रत्येक अवसर पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, अन्यथा 1, 2, 3 या 4 वर्ष, जैसा भी मापता हो, पूरे होने पर संविदा समाप्त माना जाएगा।